



Helpline

1064



94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (जनसम्पर्क प्रकोष्ठ) प्रेस नोट

- हनुमानगढ़ में श्री बाबा मस्तनाथ बीएड कॉलेज हनुमानगढ़ के आरोपी डॉ० रामावतार प्राचार्य व करण कम्प्यूटर ऑपरेटर, 5000/- रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।

जयपुर, 31 जनवरी शुक्रवार। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. चौकी हनुमानगढ़ इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुए आरोपी डॉ० रामावतार प्राचार्य श्री बाबा मस्तनाथ बीएड कॉलेज हनुमानगढ़ टाउन व करण कम्प्यूटर ऑपरेटर श्री बाबा मस्तनाथ टाउन को 5,000/- रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस श्री डा. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि ए.सी.बी. की चौकी हनुमानगढ़ को एक शिकायत इस आशय की मिली की आरोपी प्राचार्य रामावतार द्वारा बीएड के ऑफलाईन फार्म जमा करवाने की एवज में यूनिवर्सिटी के नाम से परिवादी से 5000/- रुपये रिश्वत की मांग कर परेशान कर रहा था।

जिस पर एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री राजेश सिंह के सुपरविजन में ए.सी.बी. चौकी हनुमानगढ़ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पवन कुमार मीणा के नेतृत्व में आज श्रीमती शालू बिश्नोई पुलिस निरीक्षक द्वारा मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी डॉ० रामावतार प्राचार्य, श्री बाबा मस्तनाथ बीएड कॉलेज हनुमानगढ़ टाउन ने रिश्वत श्री करण कम्प्यूटर ऑपरेटर श्री बाबा मस्तनाथ बीएड कॉलेज हनुमानगढ़ टाउन को दिलवाये जिसने रिश्वत राशि 5000/- रुपये कार्यालय कक्ष में मेज पर रखी पुस्तक व फाईल के बीच में छिपाकर रख दिये जहां से बरामद कर आरोपी डॉ० रामावतार व श्री करण बाबा मुस्तनाथ बीएड कॉलेज हनुमानगढ़ टाउन को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जावेगा।